नयी पीढ़ी की न्याय प्रणाली पर श्वेत–पत्र शृंखला

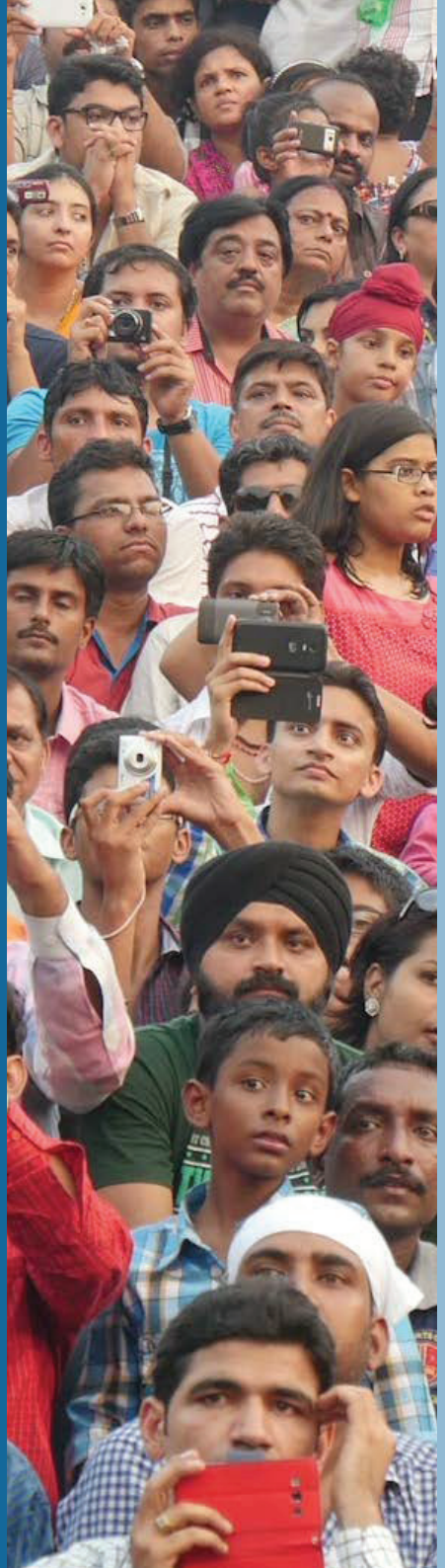

DAKSH

पूरी श्वेत–पत्र श्रृंखला पढ़ने के लिए, कृपया क्लिक करें:
https://dakshindia.org/next-generation-justice-platform/

नयी पीढ़ी की न्याय प्रणाली पर श्वेत–पत्र शृंखला

हम अब डिजिटल युग में जी रहे हैं; पिछले ३० वर्षों में, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) ने, लोगों के एक दूसरे के साथ बातचीत करने के तरीकों को, व्यापार के संचालन को, संस्थानों की कार्य प्रणाली को और राज्य और नागरिकों के बीच के संवाद को तेजी से बदला है। आईसीटी के बढ़ते इस्तेमाल के चलते, इस बदलाव ने आपसी संवाद की एक ऐसी प्रणाली को संभव बना दिया है जिसकी कुछ समय पहले तक कल्पना भी नहीं की गयी थी। अब जनता की सरकारों से यह अपेक्षा रहती है कि सरकारी सेवाएँ भी आईसीटी माध्यमों के ज़रिये उपलब्ध होंगी।

आईसीटी के इस्तेमाल के ज़रिये न्याय प्रणाली को भी फिर से जीवंत किया जा सकता है। न्यायपालिका में कार्यकुशलता के अभाव की जिस समस्या का व्यापक तौर पर दस्तावेज़ीकरण किया जा चुका है, उससे आधुनिकीकरण के ज़रिये काफी हद तक निपटा जा सकता है। आईसीटी की मदद से पक्षकार बिना वकीलों पर निर्भर हुए, बिना अदालत जाये, इंटरनेट के माध्यम से, कोर्ट तक पहुँच सकते हैं। लेकिन, न्यायपालिका में आईसीटी संबंधित सुधार लाने के लिए, अप्रत्याशित कोशिशों और समन्वय की ज़रुरत होगी क्योंकि इसमें विभिन्न अधिकार–क्षेत्रों वाले हितधारकों और प्रक्रियाओं को साथ लेकर चलना होगा।

भारतीय न्यायपालिका के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत ई–कोर्ट मिशन मोड परियोजना के साथ पहले से ही हो चुकी है, जिसकी तीन–चरणीय योजना का दूसरा चरण हाल ही में पूरा हुआ है। लेकिन, यह दूसरा चरण काफी लंबी देरी के बाद ही पूरा हो पाया और इस अंतरिम अवधि के दौरान विकसित हुई कई नवीन तकनीकों को भी इसमें शामिल नहीं किया जा सका। ई–कोर्ट परियोजना के तहत एक कागज़–आधारित दुनिया के लिए बनाई गई प्राचीन प्रक्रियाओं के स्थान पर डिजिटल दुनिया के लिए उपयुक्त प्रक्रियाओं को विकसित किया जा सकता था। लेकिन, इस परियोजना का उद्देश्य "प्लेटफॉर्म के रूप में सरकार" ("ऋग्ग्ठ") के दृष्टिकोण के तहत न्यायपालिका में बदलाव लाना नहीं बल्कि सिर्फ मौजूदा प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण है।

"प्लेटफॉर्म के रूप में सरकार" के दृष्टिकोण की रूपरेखा पहली बार टिम ओ'राइली द्वारा प्रस्तावित की गयी थी, जिन्होंने इसके तहत आधुनिक युग में सरकारी सेवाओं को नया रूप देने की कोशिश की। ओ'राइली ने इंटरनेट आधारित प्रौद्योगिकी को केंद्र में रखकर सरकारी व्यवस्था के पुनर्निर्माण और नागरिकों की सामूहिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का तर्क दिया। ओ'राइली के अनुसार, "... सरकार २.० कोई नई तरह की सरकार नहीं है; यह वो सरकार है जिसे उसके मूल उद्देश्य तक सीमित किया गया है, और जिसकी पुनः खोज और नए सिरे से कल्पना की गयी गयी है।"

हितधारकों को होने वाले संभावित फायदे

नागरिक

इस प्लेटफॉर्म (मंच) का मुख्य उद्देश्य संस्थानों को नागरिक–केंद्रित बनाना है, जिसकी झलक नागरिकों को इस प्लेटफॉर्म से होने वाले फ़ायदों में भी देखी जा सकती है। यह न्याय तक नागरिकों की पहुंच और सामर्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और साथ ही साथ यह सूचना में गैर–बराबरी को कम करने के माध्यम से नागरिकों के अधिक सशक्तिकरण का ज़रिया भी बनेगा। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और एप्लीकेशन इंटरफ़ेस (एपीआई) के ज़रिये नागरिकों की ख़ास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट एप्लीकेशन और उत्पाद बनाए जा सकेंगे जिससे नागरिकों को न्याय प्रणाली के इस्तेमाल में लचीलापन मिलेगा। प्लेटफ़ॉर्म के लिए बनाए गए कानूनी ढांचे के तहत प्रस्तावित सुरक्षा उपायों के चलते, उन्हें अपने व्यक्तिगत डेटा पर अधिक स्वायत्तता भी हासिल होगी।

इस प्लेटफॉर्म (मंच) का मुख्य उद्देश्य संस्थानों को नागरिक–केंद्रित बनाना है, जिसकी झलक नागरिकों को इस प्लेटफॉर्म से होने वाले फ़ायदों में भी देखी जा सकती है। यह न्याय तक नागरिकों की पहुंच और सामर्थ्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा और साथ ही साथ यह सूचना में गैर–बराबरी को कम करने के माध्यम से नागरिकों के अधिक सशक्तिकरण का ज़रिया भी बनेगा। सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानकों और एप्लीकेशन इंटरफ़ेस (एपीआई) के ज़रिये नागरिकों की ख़ास ज़रूरतों को पूरा करने के लिए विशिष्ट एप्लीकेशन और उत्पाद बनाए जा सकेंगे जिससे नागरिकों को न्याय प्रणाली के इस्तेमाल में लचीलापन मिलेगा। प्लेटफ़ॉर्म के लिए बनाए गए कानूनी ढांचे के तहत प्रस्तावित सुरक्षा उपायों के चलते, उन्हें अपने व्यक्तिगत डेटा पर अधिक स्वायत्तता भी हासिल होगी।

न्यायाधीश और न्यायालयों में कार्यरत कर्मचारी

मामलों की इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकिंग और प्रबंधन प्रक्रियात्मक देरी को दूर करने की ओर एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके ज़रिये कई प्रशासनिक कार्यों को अधिक कुशल बनाया जा सकता है, या पूरी तरह से समाप्त भी किया जा सकता है। न्यायाधीशों का ज़्यादातर समय प्रशासनिक कर्तव्यों के बजाय न्यायिक प्रक्रियाओं पर खर्च हो, यह भी सुनिश्चित किया जा सकता है। विभिन्न विषयों पर क़ानूनों, पूर्व–निर्णयों (मिसाल) और अध्ययनों से संबंधित जानकारी आसानी से उपलब्ध कराए जाने के ज़रिये, उनकी मुख्य ज़िम्मेदारियों को अधिक सरल बनाया जा सकता है। गैर–न्यायिक कर्मचारी भी न्यायाधीशों और अदालत का इस्तेमाल करने वालों की मदद करने के लिए, प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराए गए उपकरणों का सहारा ले सकते हैं। इसमें अदालत के परिसर के प्रबंधन से लेकर अदालत का इस्तेमाल करने वालों की इंटरनेट के माध्यम से सहायता करना शामिल है।

नयी पीढ़ी के न्यायिक प्लेटफॉर्म के मुख्य उद्देश्य

1

नागरिक–केंद्रित प्रक्रियाएँ

2

साझा डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर

3

एक ही "वन–स्टॉप सरकार" बिंदु से सभी सेवाओं तक पहुँच

4

अनुखंडिया नज़रिया

5

सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मानक

6

प्रमुख प्रक्रियाओं को स्वचालित बनाया जाना

7

हितधारकों को कुशल उपकरण मुहैया कराना

8

इस्तेमाल में आसानी

9

पहुँच

10

सूचना तक पहुँच में कम से कम गैर–बराबरी

11

पारदर्शिता

12

कार्यकुशलता

13

गोपनीयता

14

निष्पक्षता

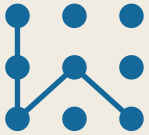

15

सुरक्षा

वक़ील

मामलों के सभी पहलुओं का ऑनलाइन प्रबंधन और ट्रैकिंग, जैसे दस्तावेज़ों और सबूतों का प्रबंधन, सुनवाई की ट्रैकिंग और नियोजन आदि के ज़रिये, दस्तावेज़ों के भौतिक प्रबंधन और मामलों की सुनवाई के लिए शारीरिक रूप से अदालत में हाज़िर होने की अनिवार्यता कम होगी। यह वकीलों की अपने समय और संसाधनों का अधिक कुशलता से इस्तेमाल करने में भी मदद करेगा।

पुलिस और अन्य जांच एजेंसियाँ

ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करा पाने की सुविधा इस प्रक्रिया में पेश आने वाली बाधाओं को कम करेगी और पुलिस कर्मी भी इसके ज़रिये, जैसे जैसे जांच आगे बढती है, वैसे वैसे मामले की वस्तु-स्थिति को ट्रैक और अपडेट कर पाएंगे। प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से वे, पुलिस रिकॉर्ड को एक सुरक्षित डेटाबेस में लॉग और ट्रैक कर पाएंगे, और इसके साथ-साथ इन्हें अदालतों और जांच एजेंसियों जैसे अन्य संस्थानों के साथ साझा कर पाएंगे। जांच एजेंसियाँ भी इसी तरह अपनी जांच से संबंधित जानकारी के प्रबंधन के लिए और पुलिस और अदालतों के साथ इन्हें साझा करने के लिए इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर सकती हैं। जहाँ कुशलता की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण हो, जैसे कि वारंट जारी करना, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म के इस्तेमाल के ज़रिये इस तरह की प्रक्रियाओं को कई गुना ज़्यादा प्रभावी बनाया जा सकता है।

नयी पीढ़ी के न्यायिक प्लेटफॉर्म का कार्यान्वयन

हालांकि इन मुख्य उद्देश्यों और आयामों को काफी विचार-विमर्श और विश्लेषण के बाद तय किया गया है, लेकिन एक प्रभावी कार्यान्वयन योजना के बिना उनका सफल होना मुमकिन नहीं होगा। विस्तृत योजना की ज़रिये इसके कार्यान्वयन को सहज बनाने के साथ-साथ, जोखिमों को कम किया जा सकता है और संसाधनों की अधिकतम कार्यक्षमता सुनिश्चित की जा सकती है। प्लेटफॉर्म के सफल कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदमों को ज़रूरी पाया गया है।

१. डिजिटलीकरण से पहले प्रक्रियाओं की पुनर्रचना

"प्लेटफॉर्म के रूप में सरकार" के दृष्टिकोण के तहत न्यायिक प्रक्रियाओं की मौलिक पुनर्रचना की ज़रुरत है ताकि यह प्रक्रियाएँ न केवल डिजिटल हों बल्कि कार्यकुशल और सुव्यवस्थित भी हों।

२. अनुखंडिया दृष्टिकोण

प्लेटफॉर्म के कार्यान्वयन को कारगर बनाने के लिए एक अनुखंडिया (मॉड्यूलर) दृष्टिकोण को अपनाने की ज़रुरत होगी। विभिन्न अनुखंडों (मॉड्यूलों) की इंटरऑपरेबिलिटी (आपस में काम करने की क्षमता) सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी सर्वोच्च न्यायिक प्लेटफॉर्म प्राधिकरण की होगी जो प्लेटफ़ॉर्म के लिए खुले तौर पर उपलब्ध मानक भी तय करेगा। इन मानकों को विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श के ज़रिये तय किया जाना चाहिए।

३. पहले से ही मौजूद (ऑफ-द-शेल्फ) एप्लिकेशनों का इस्तेमाल

खुद ही (इन-हाउस) आप्लिकेशन विकसित करने में बड़े बजट और आने वाली रुकावटों के जोखिम के बजाय पहले से ही मौजूद (रेडीमेड ऑफ-द-शेल्फ) एप्लिकेशन का इस्तेमाल करना उचित होगा। बाजार में पहले से मौजूद टिकाऊ और परखे हुए उत्पाद का इस्तेमाल यह सुनिश्चित करता है कि आमतौर पर सामने आने वाली मुश्किलों के समाधान पहले से विकसित किये जा चुके हों और बदलती ज़रूरतों के अनुसार बदलाव भी किये जा चुके हों, जिससे अनपरखे उत्पादों के जोखिमों से बचा जा सकता है।

४. निजी क्षेत्र में मौजूद निपुणता

अगर निजी क्षेत्र के कौशल और निपुणता का इस्तेमाल किया जाता है, तो रखरखाव जैसे कार्य, संसाधनों पर कम खर्च और उच्च दक्षता के साथ किये जा सकते हैं। इसमें न केवल एप्लिकेशनों का विकास शामिल है, जैसा कि ऊपर बताया गया है, बल्कि प्लेटफॉर्म का नियमित संचालन भी।

५. हितधारकों की भागीदारी

अन्य सभी पहलुओं के सही होने के बावजूद, प्लेटफ़ॉर्म की सफलता पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करेगी कि हितधारकों को रचना से लेकर कार्यान्वयन प्रक्रियाओं तक का किस हद तक हिस्सा बनाया जाता है। सभी हितधारकों के साथ प्रभावी विचार-विमर्श यह सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा कि प्लेटफॉर्म सभी हितधारकों की ज़रूरतों को पूरा करे। शुरुआत में ही वरिष्ठ और प्रभावशाली हितधारकों की सहमति और सहयोग हासिल करना ज़रूरी होगा।

निष्कर्ष

सार्वजनिक न्यायायिक प्लेटफॉर्म के दृष्टिकोण को अपनाने के फ़ायदों की सूची बहुत लंबी है। नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने से लेकर, समय पर न्याय तक पहुंच में सुधार और कानूनबद्ध शासन के सशक्तिकरण के ज़रिये, यह भारतीय लोकतंत्र को मौलिक स्तर पर कई तरीकों से मजबूत बनाएगा। बिना देरी के न्याय हासिल कर पाने के प्रति जनता में व्यापक अविश्वास है, जिसे बदलने की दिशा में यह न्याय मंच (प्लेटफॉर्म) एक बड़ी पहल होगा। यह न्याय प्रणाली को फिर से जाँचने और गैर-ज़रूरी प्रक्रियाओं को हटाने के ज़रिये, एक नवीन, अधिक सुलभ और कुशल न्याय प्रणाली बनाने का अवसर है। यह भी ज़रूरी है कि इसे यह एक बार के प्रयास के रूप में न देखा जाए क्योंकि प्रौद्योगिकी में हो रहे परिवर्तन के साथ साथ न्याय प्रणाली में भी उपयुक्त बदलाव होते रहने चाहिए।